इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च 2018—चैत्र 2, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018

क्र. एफ-52-2-2016-अड़तीस-3.—राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991) की धारा 33 ख की उपधारा (1) को प्रयोग में लाते हुए अधिसूचना क्र. एफ 52-02-2016-अड़तीस-3 यह निर्देश देते हुए जारी की थी कि उक्त अधिनियम की धारा 33 ख की उपधाराएं (2), (3), (4) एवं (5) के उपबंध, अधिनियम, में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए दिनांक 18 मार्च, 2017 से उक्त विश्वविद्यालय को लागू होंगे.

राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थिति अभी भी विद्यमान है जिसमें उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 20 सन् 1991) के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना नहीं चलाया जा सकता है और इसलिए ऐसा करना समीचीन है कि उक्त अधिनियम की धारा 33-ख की उपधारा (1) के उपबंधों को प्रवृत्त किया जाए ताकि विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना प्रशासन चलाया जा सके;

अतएव मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 20 सन् 1991) की धारा 33-ख उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 33-ख की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंधों को एक वर्ष की कालावधि के लिये दिनांक 18 मार्च, 2018 से उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए विस्तारित करती है.

No. F 52-2-2016-XXXVIII-3.—The State Government by exercising the powers conferred by sub-section (1) of section 33 B of the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Adhiniyam, 1991 (No. 20 of 1991) had issued a Notification No. F. 52-2-2016-38-3 dated 18 March 2017 and, thereby, directing that the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) of section 33B of the said Act shall apply to the said University from 18 March, 2017 subject to the Modifications specified in the Act.

The State Government is satisfied that such a situation is still existing in which the administration of the said University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Adhiniyam, 1991 (No. 20 of 1991) without detriment to the interests of the University and it is therefore,

expedient to do so that the provisions of sub-section (1) of section 33 B of the said Act, the enforced so that the administration can be carried out without detriment to the interest of the University;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 33 B of the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Adhiniyam, 1991 (No. 20 of 1991), the State Government, hereby, extends the period of enforcement of the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) of section 33B of the said Act for one year commencing from 18 March, 2018 subject to the modifications specified in the Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.